मु. नं.

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
9.8.17	पत्रावली पेश हुई हस्बुलहुक्म करीकैन उज्र जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10.10.17 को पेश हो। [signature]	
10.10.17	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13.11.17 को पेश है। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)	
13.11.17	आज पीठासीन अधिकारी के दौरे/अवकाश पर होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 4.1.18 को पेश है। [signature] रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद (बारां)	
4.1.18	पत्रावली पेश हुई हस्बुलहुक्म करीकैन उज्र जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 14.2.18 को पेश हो। [signature]	
14.2.18	पत्रावली पेश हुई हस्बुलहुक्म करीकैन उज्र जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22.3.18 को पेश हो। [signature]	
22.3.18	पत्रावली पेश हुई हस्बुलहुक्म करीकैन उज्र जवाब पेश नहीं हुआ समय चाहते हैं पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 1.5.18 को पेश हो। [signature]	
1.5.18	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प फूलबड़ौदा पर आज पेश हुई वादी एवं प्रतिवादी गण राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प फूलबड़ौदा पर मय उप. पक्षकारान द्वारा कैम्प में उप. होकर राजीनामा पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया व समझाया गया बाद समझने व समझाने के उपरान्त राजीनामा पर हस्ताक्षर किये गये मुताबिक राजीनामा वादी का दावा स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर आदेश किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो। [signature]	राजेश महेशचन्द नि॰ अ॰ [illegible] गोकुलप्रसाद [illegible] देवकिशन

Scanned by CamScanner

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प फूलबड़ौदा
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां

प्रकरण संख्या :— 145 / 2016दावा
दायरा दिनांक :— 10.08.2016
निर्णय दिनांक :— 01.06.2018

उनवान

लक्ष्मण पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.
2. बिरधीलाल पुत्र गोरीलाल
3. रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
4. सूरजमल पुत्र लक्ष्मीचन्द
5. गोकुलप्रसाद पुत्र लक्ष्मी
6. लोगाबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द
7. बुदाबाई पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति मीना निवासी गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
8. राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण
9. देवकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासीगण गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
10. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा छीपाबड़ौद
11. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां
12. शाखा प्रबन्धक पंजबा नेशनल बैंक शाखा कवाई जिला बारां राजस्थान

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :—01.06.2018

अभिभाषक वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188, 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि अन्य के अलावा आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा वादी व गोरीलाल पुत्र शिवबक्स जाति मीना निवासी गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान के खातेदारी मे दर्ज जमाबंदी है। सहखातेदार श्री गौरीलाल पुत्र शिवबक्स जाति मीना निवासी गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान ने आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा मे से 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि का बेचान घनश्याम पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी गुरूखेडी को कर दिया था, तथा उक्त विक्रयपत्र के आधार पर इन्तकाल संख्या 38 ग्राम गुरूखेडी निर्णित हुआ, जिसमे साफ दर्ज था, कि गौरीलाल का आराजी खसरा नंबर 71 मे से नाम समाप्त किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

गौरीलाल द्वारा आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा मे से अपने हिस्से की आराजी रकबा 4 बीघा 04 बिस्वा का बेचान किये जाने के बाद उक्त आराजी मे कोई हक व अधिकार शेष नही रहा ओर शेष आराजी 4 बीघा 03 बिस्वा जिसके वर्तमान खसरा नंबर 192/71 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा केवल वादी के खाते दर्ज होनी चाहिए, लेकिन राजस्व कर्मचारियों के सहयन से आराजी खसरा नंबर 192/71 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा मे भी गौरीलाल पुत्र शिवबक्श का नाम दर्ज कर दिया तथा गौरीलाल का स्वर्गवास होने पर उसके पुत्र बिरधीलाल, लक्ष्मीचन्द का नाम दर्ज कर दिया तथा लक्ष्मीचन्द का स्वर्गवास होने पर उसके वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गौरीलाल के प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 वारिसान है, जिन्हे उक्त वादपत्र मे पक्षकार बनाया गया है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का उक्त आराजी खसरा नंबर 192/71 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा मे कोई हक व अधिकार नही है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड मे गलत प्रविष्टियाँ दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 उक्त आराजी को रहन बेचान करने के लिये आमादा है, इसलिए वादी के लिये राजस्व रिकार्ड शुद्ध करवाना आवश्यक हो गया है। वादी के आराजी खसरा नंबर 192/71 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा में से राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से 1/2 का दान अपने पुत्र देवकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी गुरूखेडी को कर दिया है, इसलिए वादी आराजी खसरा नंबर 192/71 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा मे से अपने को 1/2 हिस्से की आराजी का खातेदार कृषक घोषित करवाने का अधिकारी है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया है। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद सम्वत् 2070–73 खाता संख्या 42, नकल नामान्तकरण संख्या 38 ग्राम गुरूखेडी, नकल विक्रय-पत्र दिनांक 25.10.1967, नकल जमाबन्दी ग्राम गुरूखेडी सम्वत् 2029–32 पेश की गई।

प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प फूलबड़ौदा पर रखा गया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प फूलबड़ौदा पर उपस्थित होने हेतु पक्षकारान् को नोटिस जारी किये गये। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प फूलबड़ौदा पर उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त उनवान के प्रकरण में हम पक्षकारान् के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है, तथा राजीनामा के अनुसार वाके ग्राम गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद मे स्थित आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 8.07 बीघा मे से गौरीलाल जो प्रतिवादीगण का पिता है, ने 4.04 बीघा भूमि का बेचान कर दिया है, तथा शेष भूमि 4.03 बीघा बची है। वह वादी लक्ष्मण पुत्र मथुरालाल के हिस्से की शेष है। अतः उक्त आराजी खसरा नंबर 71 रकबा 4.03 बीघा भूमि वादी खातेदार कृषक होने का अधिकारी है। उक्त राजीनामा के आधार पर उक्त आराजी लक्ष्मण के खाते दर्ज कर दी जावे। मुताबिक राजीनामा वादी एवं प्रतिवादीगण को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान् को पढकर सुनाया व समझाया गया। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा सुनकर एवं समझने के बाद राजीनामे पर हस्ताक्षर किये। प्रतिवादीगण का मुताबिक राजीनामा

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 145/2016	धारा अन्तर्गत 88,188 RTA	निर्णय दिनांक : 01.05.2018
समक्ष : श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबड़ौद जिला बारां		
उपस्थिति : अभिभाषक वादी— श्री पंकज शुक्ला	अभिभाषक प्रतिवादी— रामेश्वर गोयल	

वाद शीर्षक

उनवान

लक्ष्मण पुत्र मथुरलाल जाति मीना निवासी गुरूखेड़ी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.
2. बिरधीलाल पुत्र गोरीलाल
3. रमेशचन्द पुत्र लक्ष्मीचन्द
4. सूरजमल पुत्र लक्ष्मीचन्द
5. गोकुलप्रसाद पुत्र लक्ष्मी
6. लोगाबाई पुत्री लक्ष्मीचन्द
7. बुदाबाई पत्नी लक्ष्मीचन्द जाति मीना निवासी गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
8. राजेन्द पुत्र लक्ष्मण
9. देवकिशन पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासीगण गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राजस्थान
10. शाखा प्रबन्धक सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा छीपाबड़ौद
11. शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे शाखा छीपाबड़ौद जिला बारां
12. शाखा प्रबन्धक पंजबा नेशनल बैंक शाखा कवाई जिला बारां राजस्थान

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प फूलबड़ौदा पर मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गुरूखेडी तहसील छीपाबड़ौद के खसरा नंबर 192/71 रकबा 4.03 बीघा से प्रतिवादी क्रम 2 ता 7 का नाम खाते से खारिज किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित् किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नही करे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 01.05.2018 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज ( )		
10.	योग		

Scanned by CamScanner